आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–93 / 2020–21

योगेश्वर महतो...आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू एवं अन्य...विपक्षी।

आदेश

19.11.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–योगेश्वर महतो वो परमेश्वर महतो, दोनों पे०–स्व० दीनाराम महतो, सा०–काशीडीह, पो०–बाबुरामडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–95 R27/2020-21/बुण्डू में दिनांक–20.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
आमजोरा	बुण्डू	30	81	790	10 डी०

चौहदीः–उ०–आर.एस. प्लॉट नं. 789, द०–आर.एस. प्लॉट नं. 794,
पू०–प्रस्तावित रास्ता, प०–आर.एस. प्लॉट नं. 791।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलार्थी उपरोक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। उपरोक्त भूमि का निम्न न्यायालय के नामांतरण वाद में राजस्व कर्मचारी द्वारा नामांतरण स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है बावजूद इसके अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा बिना कोई कारण के उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। अतः है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी की ओर से इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–95 R27/2020-21/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार–आवेदित भूमि के विक्रेता पंजी।। रैयत स्वंय है, जिन्होंने अपने हिस्से की भूमि को बिक्री किये हैं. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है, आवेदित भूमि सैरात, सिलिंग, अर्जित, वन क्षेत्र, आदिवासी, गैर्मजरूवा एवं ५१ पिछड़ी जाति से बाहर की है. इनके द्वारा नामांतरण स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है। अंचल निरीक्षक का मंतव्य द्रष्टव्य नहीं है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- ह०/-

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।